

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 839]

नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2025 — कार्तिक 8, शक 1947

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अक्टूबर 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENS/6887/2025-REVENUE सात-3.— छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट उप-खण्ड की सीमाओं को परिवर्तित, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नवीन उप-खण्ड को सृजित तथा यथा विनिर्दिष्ट उनकी सीमाओं को परिभाषित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा (13) की उप-धारा (2) द्वारा अपेक्षित अनुसार पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात्:-

अनुसूची

जिला	वर्तमान उप-खण्ड	नवीन उप-खण्ड	वर्तमान उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील	नवीन उप-खण्ड में सम्मिलित तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
नारायणपुर	नारायणपुर	ओरछा	तहसील-नारायणपुर छोटेडोंगर, ओरछा, कोहकामेटा	तहसील-ओरछा, कोहकामेटा

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार एक्का, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th October 2025

NOTIFICATION

No. GENS/6887/2025-REVENUE/Seven-3.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, alter the limits of Sub-Division specified in column (2), creates a new Sub-Division specified in column (3) and to

defines the limits thereof as specified in the Schedule below, the same having been previously published as required by sub-section (2) of Section (13) of the said Adhiniyam, Namely:-

SCHEDULE

District	Present Sub-division	New Sub-Division	Tahsil included in Present Sub-Division	Tahsil included in new Sub-Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Narayanpur	Narayanpur	Orchha	Tahsil-Narayanpur, Chhotedongar, Orchha, Kohkameta,	Tahsil-Orchha, Kohkameta,

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARVIND KUMAR EKKA, Joint Secretary.